

कार्यालय जापन / Office Memorandum

विषय : आवास आबंटन / परिवर्तन

Subject: Allotment of Accommodation / Change of Accommodation.

निदेशक/प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी ने निम्नलिखित आवास के आबंटन का अनुमोदन किया है:-
Director/COA CSIR-CEERI has approved the allotment of following accommodation:-

क्र.सं./ S.No.	कर्मचारी का नाम व पदनाम Name of Employee & Designation	वर्तमान आवास/ Existing Accommodation	नया आबंटन New Allotment	विवरण Details
1.	डा. रविन्द्र कुमार झा, वैज्ञानिक	ई- 41	ई- 66	(परिवर्तन के आधार पर)

- यह आबंटन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) द्वारा निर्धारित आबंटन नियमों एवं दि. 06/05/98 के कार्यालय जापन सं. सीएसआईआर/ आ.आ./97/सम्पदा में उल्लिखित स्पष्टीकरणों तथा इस संबंध में किए जाने वाले संशोधनों के अधीन होगा।
This allotment will be subjected to the allotment Rules of Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) and the Clarifications given in OM No. CSIR/Allotment of Accom./97/Estate Dated 6/5/98 and the modifications in this regard.
- यदि कोई कर्मचारी आबंटन आदेश पाने के पांच दिनों के भीतर आवास का आबंटन स्वीकार करने या आवास का आबंटन आदेश स्वीकार करने के आठ दिन के भीतर आवास का कब्जा नहीं लेता तो आबंटन आदेश रद्द हो जायेगा तथा संबंधित कर्मचारी को इस प्रकार की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये आबंटन हेतु मना कर दिया जायेगा।
If employee does not accept the accommodation within five days of receipt of Allotment order and does not possess the accommodation within a period of eight days of accepting the accommodation, the allotment order will itself be cancelled and the concerned employee will be debarred from allotment for one year w.e.f. such date.
यदि कोई कर्मचारी जो अपनी हकदारी से निम्न टाइप के आवास में रह रहा हो, अपनी हकदारी टाइप के आवास के लिए आवेदन करता तथा इस हकदारी टाइप के आवास का आबंटन होने पर आबंटन को स्वीकार नहीं कर पाता, तो इस शर्त पर कि वह उस वर्ष की बचत अवधि और अगले आबंटन वर्ष में अन्य आवास आबंटन के लिये हकदार नहीं होगा, वह उसी आवास में रह सकता है जिसमें वह पहले रह रहा है। ये प्रावधान अपार्टमेंट्स/ होस्टल आबंटन पर लागू नहीं होंगे।
If an employee who is residing in an accommodation lower than his/her entitlement, applies for his/her entitled category and could not accept the allotted entitled accommodation, he/she can reside in the same accommodation in which he/she is residing, on a condition that he/she will not be entitled for any other allotment for the rest of the year and the next allotment year as well. These provisions will not be applicable to the allotment of Apartments/Hostels.
- यदि आबंटित आवास बदलना चाहता है तो वह पहले आबंटित किए गए आवास को ग्रहण करने के बाद आवास बदलने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।
If the allottee wants to change the accommodation, he/she can apply for the same in the prescribed form, only after possessing the accommodation allotted earlier.
- आवास में किसी अन्य व्यक्ति की साझेदारी के लिए आबंटित को निदेशक, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी, की पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी।
The allottee has to get the prior permission of the Director, CSIR-CEERI, for sharing the accommodation.
- आवास में कोई पशु आदि रखने की अनुमति नहीं है।
Keeping animals etc. in the accommodation is not permitted.
- किसी भी आबंटित को आबंटित किए गए आवास को अंशतः या पूर्णतः पुनः किराए पर देने की अनुमति नहीं है।
No allottee is permitted to sublet the allotted accommodation, partially or fully.
- आबंटित को आबंटित आवास के डिजाइन/ढाँचे में किसी प्रकार के परिवर्तन/रूपांतर करने की अनुमति नहीं है।
The allottee is not permitted to make any change in the design/structure of the allotted accommodation.

18/02/2021

अनुभाग अधिकारी/Section Officer

प्रतिलिपि/Copy to:-

- संबंधित आबंटित/ The Concerned Allottee.
- अधीक्षण अभियंता/छात्रावास अधीक्षक - कृपया आवास ग्रहण करने/छोड़ने की सही व पूरी रिपोर्ट आवास ग्रहण करने/छोड़ने के यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेजें ताकि किराए की अधिक/कम वसूली से बचा जा सके। आवास छोड़ने की रिपोर्ट के मामले में कृपया यह भी सूचित करें कि क्या यह मकान पुनः आबंटन के योग्य है।
Superintending Engineer / Hostel Supdt. - Kindly send the complete and correct possession/vacation report at the earliest to this office so that excess/less recovery may be avoided. In case of vacation report, please indicate that the accommodation is ready for fresh allotment.

अध्यक्ष, आवास आबंटन समिति को सूचनाार्थ

Chairman, Allotment of Accommodation Committee, for information